आयकर अपीलीय अधिकरण,
इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं.722/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2012-13

जलालुद्दीन खान, जी-2, शेलेश होम्स, ए/46, कोलार रोड, भोपाल	बनाम	आयकर अधिकारी 2(2), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं. - एपीएसपीके1666 बी PAN - APSPK1666B		

अपीलार्थी की ओर से :	कोई नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	27.02.2025
उद्धघोषणा तिथि :	27 .02.2025

आदेश

निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान अतिरिक्त/ संयुक्त आयकर आयुक्त (अपील)-1, जयपुर के आदेश दिनांक 31.07.2024 के विरूद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती द्वारा आवेदन दिनांक 20.02.2025 के द्वारा सूचित किया गया है कि निर्धारिती ने "**प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024**" के अधीन आवेदन किया है तथा फार्म सं. 1 रसीद सं. 758194780181224 द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किया है । निर्धारिती द्वारा फार्म सं. 1 की प्रति भी दाखिल की गई हैं । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । निर्धारिती ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध

किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः मैं इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करता हूँ तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करता हूँ ।

4. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किए गए आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 27.02.2025 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 27.02.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल